कार्यालयःवन प्रमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर

मोहनपुर, (रा० म० विद्यालय, मोहनपुर एवं पावर ग्रीड स्टेशन के निकट), समस्तीपुर, पिन–848101,
मोबाईल– 9431048042 (**Email : dfosamastipur@gmail.com & divfosamastipur-bih@gov.in**)

पत्रांक– 98

प्रेषक

सुबोध कुमार गुप्ता,
(बि०व०से०)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
प्राप्ति संख्या 97
दिनांक 27/01/2023
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

समस्तीपुर / दिनांक– 21.01.2023

विषयः– श्री राजेश राम द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर PWD पथ के किनारे समस्तीपुर की तरफ ईमली चौक से 01 (एक) किलोमीटर के अंदर प्लॉट संख्या–37, खाता संख्या–40, थाना संख्या– 48, थाना– वारिसनगर, मौजा– चकजियॉन में HPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिये पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.012 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय कार्यालय पत्रांक– 309 दिनांक– 18.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी), एकीकृत कार्यालय, रॉची, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र के आलोक में श्री राजेश राम द्वारा रिटेल आउटलेट खोलने के लिये पहुँच पथ के निर्माण हेतु आवेदन के साथ संशोधित मानचित्र समर्पित किया गया है (छाया प्रति संलग्न) जिसमें उल्लेख किया गया है कि पूर्व में समर्पित नक्सा में बदलाव कर उक्त स्थल पर अवस्थित वृक्षों को बिना क्षति के रिटेल आउटलेट के पहुँच एवं निकास पथ का निर्माण करने का अनुरोध किया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

<u>अनु० यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन
21/1/2023

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमण्डल, समस्तीपुर।

H/20-21/R.outlet

दिनांक :- 23/12/2022

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर

विषय :— समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर - समस्तीपुर PWD पथ के किनारे समस्तीपुर के तरफ ईमली-चौक से 01 (एक) किलोमीटर के अंदर प्लॉट संख्या - 34 खाता संख्या - 40 थाना संख्या - 48, थाना समस्तीपुर मौजा चकजिमान में HPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम - 1980 के अंतर्गत 0.012 हैक्टेयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

2022

प्रसंग :— एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची (तकनिकी पदाधिकारी वानिकी) का कार्यालय पत्रांक - 4568, दिनांक 05/03/2021 एवं मेरा आवेदन दिनांक - 23-11-2022

6568
27.12.2022
AC

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि पूर्व में समर्पित प्रस्ताव पर दिये गये निर्देश के आलोक में रिटेल आउटलेट के लिए वन भूमि के अपयोजन हेतु सुरक्षित वन में वृक्षों को बिना पातन किये प्रवेश एवं निकास का संशोधित मानचित्र संलग्न समर्पित कर रहा हूँ। साथ ही उक्त स्थल पर प्रवेश एवं निकास के बगल में अवस्थित वृक्षों को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाऊगा एवं इसका समुचित देखभाल करुँगा।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि समर्पित संशोधित मानचित्र के आलोक में ~~रिटेल~~ रिटेल - आउटलेट के स्थापना हेतु उचित कार्यवाई करने की कृपा की जाए। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी

राजेश राम

पिता - श्री मुन्नर राम

ग्राम + पो - मथुरापुर, थाना वारिसनगर

जिला - समस्तीपुर - पिन - 848101

मो० - 95340-30070

रटेल आउटलेट के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु सुरक्षित वन में वृक्षों के बिना पातन किए प्रवेश एवं निकाश का संशोधित मान चित्र।

आवेदक का नाम - राजेश राम

पता- चकजियान (समस्तीपुर की तरफ इमली चौक से 01 कि०मी० अन्दर) समस्तीपुर।

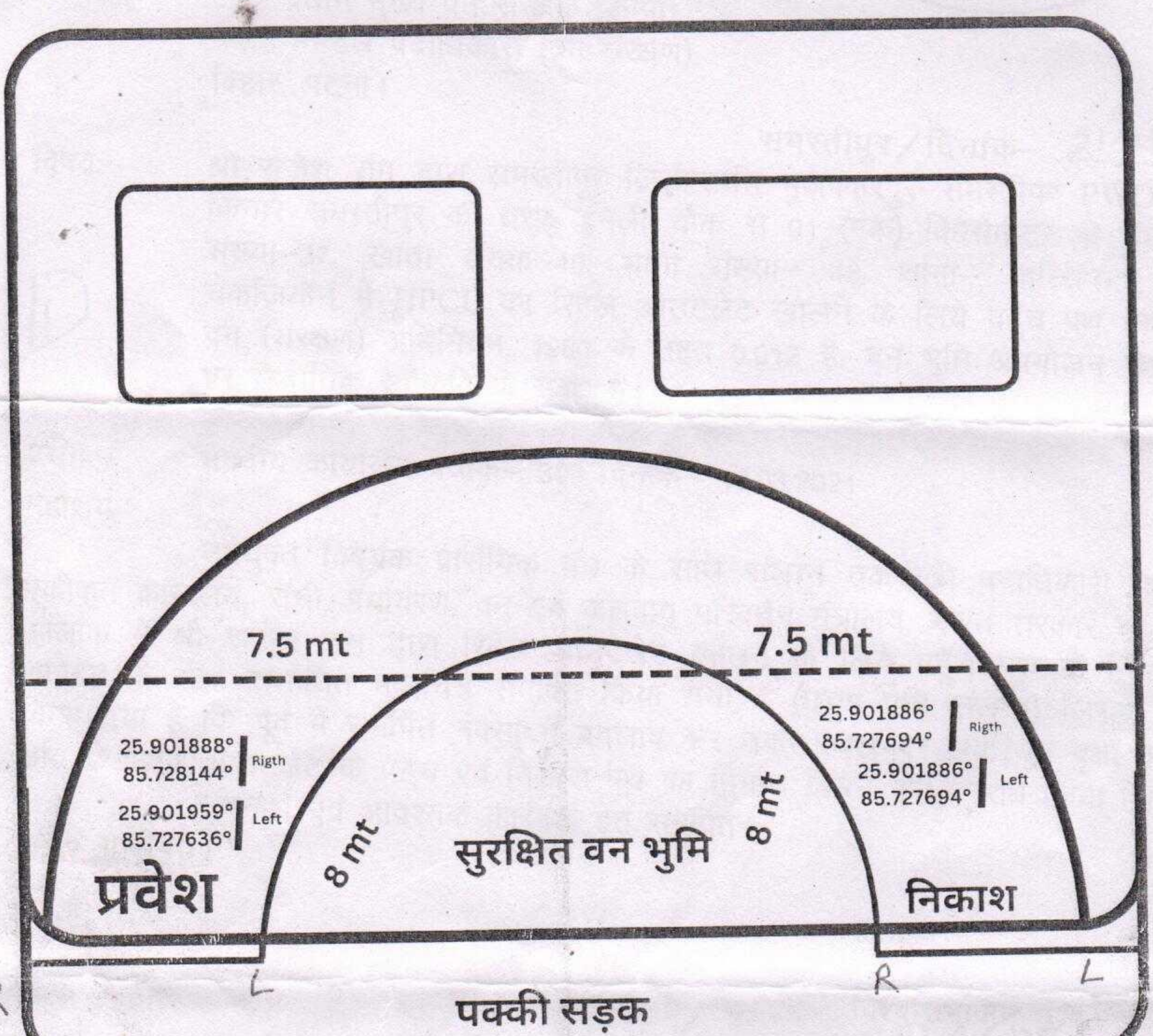

आपयोजन:- प्रवेश में चौड़ाई 5.5 मीटर + दोनों साइड में एक-एक मीटर का फलेंक = 5.5 मी० + 2.0 मी० = 7.5 मी०

निकासी में चौड़ाई - 5.5 मीटर + दोनों साईड में एक-एक मीटर का फलेंक - 5.5 मी० + 2.0 मी० = 7.5 मीटर

लम्वाई में प्रवेश - 8 मीटर , चौड़ाई में प्रवेश - 8 मीटर

कुल आयोजित होने वाली भूमि - $\frac{7.5 \times 8 \times 2}{10000}$ = 0.012 हेक्टेयर।

राजेश राम